

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक:- /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 21 अगस्त, 2021।

सेवा नं.

787

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल (क्षमता-4x3000 किलोवाट) विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 9.397 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु यू०जे०वी०एन० लिमिटेड का हस्तान्तरण (FP/UK/HYD/42080/2019)

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 415 / 12-1(2) दिनांक 28.07.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित 4x3000 किलोवाट तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत की निकासी 33 के०वी० वोल्टेज पर की जानी है। पूर्व में बिन्दु उपरोक्त विषयक प्रस्तावित 4x3000 किलोवाट तांकुल लघु जलविद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत की निकासी 33 के०वी० वोल्टेज पर की जानी है। पूर्व में बिन्दु संख्या 2 के क्रम में स्पष्ट किया गया था कि यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा मौजूदा 11 के०वी० लाइन को 33 के०वी० लाइन में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। चूँकि विचाराधीन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में ट्रान्समिशन लाइन हेतु आवश्यक भूमि सम्मिलित नहीं है। अतः निम्नलिखित परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर ट्रान्समिशन लाइन हेतु Linear shape भूमि के हस्तान्तरण प्रस्ताव को अलग से प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी अवगत कराया गया था कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ०पा०का०लि०) द्वारा 33 के०वी० उपसंस्थान, तवाघाट से सीमान्त ग्राम गुंजी तक 33 के०वी० लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उक्त 33 के०वी० लाइन आई०टी०बी०पी० के BoPs के विद्युतीकरण हेतु ACSR Racocon conductor (तारों) का इस्तेमाल कर बनाई जानी है जो कि परियोजना के ग्राम पांगला के तोक मांगती में प्रस्तावित विद्युत गृह से होते हुए निकलनी प्रस्तावित है। मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के UERC Tariff and Other Terms of Electricity from Renewable Energy Source and Non-fossil fuel based Co-generating Stations) Regulations, 2018dsChapter 6, Miscellaneous, 41-Evacuation of power (1) and (2) के अनुसार 25 मे०वा० तक की रिन्यूएबल इनर्जी पर आधारित विद्युत गृहों से विद्युत ऊर्जा की निकासी हेतु वरियता के आधार पर 10 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत निकटतम उपसंस्थान में Connectivity प्रदान किया जाना Distribution licensee अर्थात् उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड का दायित्व है। ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियंत्रणाधीन यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सभी विद्युत गृहों से उत्पादित ऊर्जा की sale उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड को ही की जाती है अन्य किसी Distribution licensee को sale करने की अनुमति नहीं है।

विद्युत गृह मांगती से गुजरने वाली तवाघाट-गुंजी 33 के०वी० लाइन को मांगती विद्युत गृह पर ही संलग्न डायग्राम के अनुसार Loop In Loop Out (Li-Lo) के माध्यम से संयोजित करना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड सरकार, आई०टी०बी०पी० एवं उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उ०पा०का०लि०) के मध्य प्रस्तावित तवाघाट-गुंजी 33 के०वी० लाइन के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय एवं गतिमान कार्यवाही के सन्दर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज आपके सादर अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

1. अधीक्षण अभियन्ता, उ०पा०का०लि०, पिथौरागढ़ का पत्रांक 1492/वि०वि०म०(पि०) दिनांक 31.01.2020 मय प्राक्कलन सहित।
2. उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 844/I(2)/2020-05-35/2005 दिनांक 20.08.2020 मय माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, महानिदेशक, आई०टी०बी०पी० के मध्य हुयी वार्ता का कार्यवृत्त दिनांक 17.07.2020 सहित।
3. निदेशक (परिचालन), उ०पा०का०लि० का पत्रांक-4378/निदे० परिचालन/उ०पा०का०लि० /एस-2 दिनांक 20.09.2021 संलग्नक सहित।
4. अधीक्षण अभियन्ता, उ०पा०का०लि०, पिथौरागढ़ का पत्रांक वि०वि०म० (पि०)/895 दिनांक 26.10.2020 मय रूट मैप सहित।
5. सेनानी, 7वीं वाहिनी, भा०ति०सी० पुलिस, पिथौरागढ़ का पत्रांक भा०ति०सी०पु०/7वीं वा० अभि०/75/2020-1624-29 दिनांक 27.02.2011, मय 04 नग संलग्नकों सहित।

विषयगत सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि प्रस्तावित 4x3000 कि०वा० तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना से उत्पादित होने वाली ऊर्जा की निकासी उ०पा०का०लि० की प्रस्तावित 33 के०वी० तवाघाट-गुंजी लाइन में तोक मांगती में प्रस्तावित विद्युत गृह से Loop In Loop Out (Li-Lo) के माध्यम से की जायेगी। 4x3000 कि०वा० तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना के जुड़ने से स्थानीय जनता के साथ-साथ उ०पा०का०लि० द्वारा आई०टी०वी०पी० के सामरिक महत्व की BoP हेतु प्रस्तावित विद्युतीकरण परियोजना को भी पर्याप्त ऊर्जा मिल सकेगी। मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के सलंगन UERC (Tariff and Other Terms of Supply of Electricity from Renewable Energy Sources and Non-fossil Fuel based Co-generating Stations) Regulations 2018,ds Chapter 6, Miscellaneous, 41-Evacuation of power, (1) and (2) आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नवत् उद्धृत है। “Distribution licensee shall provide connectivity to the RE based Generating Stations having capacity upto 25 MW at its nearest distribution sub-station preferably within a range of 10 kilometers from the location of such generating station”.

अतः प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 04 प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

0/c